...ायालय उपखंड अधिकारी अरांई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमती निशा सहारण

मुकदमा नम्बर 30/2023 उनवान गजेन्द्र सिंह बनाम नटवर सिंह

...जेन्द्र कुमार पुत्र आत्माराम जाति ब्राह्मण आयु 37 साल निवासी ग्राम झाडौल तहसील अरांई जिला अजमेर राज. । —प्रार्थी

बनाम

नटवर सिंह पुत्र सुमेरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम झाडौल तहसील अंराई जिला अजमेर राज. व अन्य। — अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का.अधि. 1955

निर्णय दिनांक 12/7/24........

उपस्थितः— वकील उभयपक्ष दौराने बहस

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज. का. अधि. 1955 के तहत वकील प्रार्थी श्री हनुमान शर्मा के द्वारा पेश किया गया जिसे दिनांक 07.07.2023 को जांच रिपोर्ट के बाद दर्ज रजिस्टर क्रमांक 30/2023 पर दर्ज किया गया। संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री हनुमान शर्मा ने जाहिर किया कि प्रार्थीगणों ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 का.अधि. के तहत श्रीमान के समक्ष पेश किया है उसी के अनुक्रम में यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पेश किया गया है। श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 01 से 03 की संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी ग्राम झाडौल पटवार हल्का झाडौल तहसील अरांई में स्थित है जिसके खसरा संख्या 322, 323 रकबा 0.4126 हैक्टेयर स्थित है जिसमें प्रार्थीगण एव अप्रार्थीगणों का राजस्व रिकार्ड में हिस्सा दर्ज है किन्तु उक्त भूमि का विधिक विभाजन नहीं हुआ है जिससे अप्रार्थी संख्या 01 से 05 उक्त भूमि में मौके को लेकर विवाद पैदा करते हैं तथा वादअधीन भूमि को बेचान करने की धमकी देतें है अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 01 से 03 व उनके परिवारजन को वाद के गुणावगुण के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रार्थना पत्र के में वर्णित भूमि ग्राम ग्राम झाडौल पटवार हल्का झाडौल तहसील अरांई में स्थित है जिसके खसरा संख्या 322, 323 रकबा 0.4126 हैक्टेयर में प्रार्थीगण के कृषिकार्य में मदाखलत उत्पन्न नहीं करें, अजम... को बेचान नहीं करें तथा मौके व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखें तथा अप्रार्थी ... आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि उक्त भूमि का पंजीयन नहीं करें तथा राजस्व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2025.05.16 12:07:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर) 1-2

अवलोकनार्थ व आदेशार्थ श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय

करने के बाद अप्रार्थीगणों की तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 01, 02, 03 की ओर से ...जेन्द्र सिंह उपस्थित होकर जवाब पेश किया। जवाब में वकील प्रतिवादी ने जाहिर किया कि ...धीन भूमि का यदि राजस्व रिकार्ड के अनुसार बंटवारा कर दिया जावे तो प्रतिवादी संख्या 01 ... कोई आपत्ति नहीं है। दिनांक 17.08.2023 को अप्रार्थी संख्या 04, 05 का जवाब बन्द किया गया।

...कील प्रार्थी एवं वकील अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

प्रकरण में सहमति का जवाब प्राप्त हो चुका है तथा मूल वाद क्रमांक 34/2023 में दिनांक ...1.08.2023 को प्राथमिक डिक्री के आदेश हो चुके है। अतः इस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का. अधि. 1955 को विचाराधीन रखने का कोई न्यायिक औचित्य नहीं है। हस्तगत प्रकरण को इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 12/7/15....... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षरों के खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। जाप्ता दफ्तर दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर
अरांई (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2025.05.16 12:07:31 IST
Reason: SelfAttested